सतपाल सिंह — यूको बैंक 22/2019

दिनांक	आज्ञा पत्र
23.7.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।
	संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी /अपीलान्ट सं0-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा उद्घोषणा व रेकार्ड दुरुस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 144 रकबा 2.20 हैक्टर, ख0नं0 551 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 552 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 553 रकबा 1.52 हैक्टर, ख0नं0 1374/194 हैक्टर, ख0नं0 1378/337 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता-6 रकबा 4.54 हैक्टर वाके ग्राम कंवरपुरा में अवस्थित है । उक्त आराजी की खातेदारी पूर्व में हेमा पुत्र तेजा के नाम से थी जिनकी मृत्यु होने पर नामान्तरकरण सं0- 545 दिनांक 20-1-2004 को हेमाराम के पुत्र [illegible], झाबरमल के वारिसान व प्रतिवादी संख्या-1 लाल चन्द के नाम दर्ज हो गई । जिन्होंने बाद में सहमति से बंटवारा हो जाने पर नामान्तरकरण सं0-1184 से विभाजन होकर प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से में आई । इसके बाद गुणवता के हिसाब से बंटवारा आपसी सहमति से कर लिया जिसके अनुसार वादी संख्या-1 को ख0नं0 144 रकबा 2.20 हैक्टर, ख0नं0 1374/194 रकबा 0.14 हैक्टर कुल 2.34 हैक्टर व वादी संख्या-2 को खसरा नं0 551 रकबा 0.01 हैक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	ख0नं0 552 रकबा 0.02 हैक्टर ख0नं0 553 रकबा 1.52 हैक्टर ख0नं0 1378/337 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 2.20 हैक्टर भूमि आयी। इसी अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया। किन्तु अदालत मातहत ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री न कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।	

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी की खातेदारी पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वज हमा पुत्र तेजा के नाम से थी। जिसकी मृत्यु होने के बाद नामा0सं0 545 दिनांक 20-1-2004 को खातेदारी हेमा के पुत्र शिवबक्सा, झाबरमल व लालचन्द के नाम से हो गई। जिन्होने बाद में सहमति से बंटवारा कर लिया । जिसके तहत उक्त आराजी लालचन्द के हिस्से में आई जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है । तहसीलदार ने अपने जबाब दावा में दावा डिक्री करने से राजस्व की हानी होना दर्ज कर दिया जिसे अदालत मातहत ने पुष्ट करते हुये दावा खारिज कर दिया। तहसीलदार ने विवादित आराजी को रहन दर्ज बताया तथा उक्त आराजी की खातेदारी वादीगण को दे दी जाती है तो बैंक के हितो पर विपरित असर पडेगा । इस बिन्दू को भी अदालत मातहत ने सही मान लिया जबकिधारा-5। के अनुसार बैक का ऋण जमीन पर यथावत रहेगा । पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया । राजीनामा लिखित में पेश किया गया है जिसे अदालत मातहत ने तस्दीक किया है । जब राजीनामा तस्दीक किया गया है तो अदालत मातहत को आदेश-23 नियम-3 सीपीसी के अनुसार राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किया जाना चाहिये था । किन्तु अदालत मातहत ने बाध्यकारी आदेशो की पालना नहीं कर अपना निर्णय पारित किया है

जो कानून के विपरित है राजीनामा के सम्बन्ध में अदालत मातहत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्लू 1993(1) पेज-465 हरिसिंह बनाम रामकुमार, एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित दृष्टान्त आरआरसी 1997 पेज-97 पेश किये। जिनमें पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा तस्दीक किये जाने पर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया गया है । किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर वादीगण का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 लालचन्द पुत्र हेमा राम जाति जाट सा0देह राहिन यूको बैंक शाखा एस0के0एस0बी0 सीकर के नाम दर्ज है । प्रदर्श-2 नामान्तरकरण सं0-545 खातेदार हेमा फौत होने पर मु0 नाराणी बेवा शिवबक्सा, बलबीर पुत्र शिवबक्सा 1/3, मु0 भगवानी बेवा झाबरमल, रणवीर देवकरण, सांवरमल ताराचन्द पि0 झाबरमल हि0 1/3 लालचन्द पुत्र हेमाराम हि0 1/3 के नाम से स्वीकार किया गया ।प्रदर्श-3 जमाबन्दी सं0-2065 से 2068 में नामान्तरकरण सं0-1133 का नोट दर्ज है जिसमें नारायणी के फौत होने पर उसके वारिसान का नाम दर्ज है तथा नामा0सं0 1144 समोचन के द्वारा रामकोरी गुलाबी छोटी, गुमानी, सन्तोष कमला के बजाय बलबीर सिंह पुत्र शिवबक्साराम हि0 1/6 स्वीकार किया गया । राजीनामा दिनांक 8-9-17 को पक्षकारों

ने तस्दीक किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पक्षकारों की पैत्रिक भूमि है ।राजीनामा पक्षकारो ने लोक अदालत की भावना से किया है ।राजीनामा लिखित में तथा वकीलों द्वारा पक्षकारों की पहचान करने के बाद न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है ।जब राजीनामा तस्दीक किया गया है तो न्यायालय को आदेश-23 नियम-3 औरण धारा-115 के अनुसार पक्षकारों के मध्य जो समझौता हुआ है वह लिखित व हस्ताक्षरित है तो न्यायालय को उसके अनुसार डिक्री कर देना चाहिये ।जिसके समर्थन में आरएलडब्लू 1993 पेज-465 आरआरसी 1997 पेज-62 में स्पष्ट किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है विवादित आराजी पैत्रिक है।पक्षकारो ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है। राजीनामा लिखित एव हस्ताक्षरित है जिसको अदालत मातहत ने तस्दीक किया है । विवादित आराजी पक्षकारों की पैतृक आराजी है जिसको वह कानून सहमति से एक दूसरे भाई को दे सकते है। इसमें राज्य सरकार को स्टाम्प डयूटी की कोई क्षति नहीं होती है यह आराजी पैत्रिक है । जिसमें पक्षकारो ने राजीनामा किया है ।बैक का जो ऋण है वह आराजी पर ही रहेगा जब तक बैक का ऋण नहीं चुकाया जाता है जब तक विवादित आराजी बैंक के ही रहन रहेगी ऋण भार से मुक्त होने पर ही वादीगण के खाते में दर्ज किया जाना विधिक है । पक्षकारो में राजीनामा हुआ है और राजीनामा भी पवित्र भावनाओं से हुआ है जिसके आधार पर मुताबिक कानूनी नजीरों के दावा डिक्री किया जाना उचित मानते हैं । अत:अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी धौद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7-2-2018 खारिज किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाता

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	आराजी बैंक रेस्पोंडेन्ट संख्या-। के रहन दर्ज है । जब तक बैंक का ऋण नहीं अदा हो तब तक यह आराजी बैंके के ही रहन रहेगी । निर्णय सुनाया गया । 23/7/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	